संक्षिप्त समाचार

दिल्ली के 30 इलाकों में रहेगी पानी की दिक्कत, यमुना में अमोनिया घटने तक संकट

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर जल संकट गहरा गया है। यमुना में प्रदूषण बढ़ने की वजह से वजीराबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादन प्रभावित होने की वजह से 30 से अधिक इलाकों में पानी आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि जब तक अमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर कम नहीं हो जाता है तब तक लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से शनिवार को बताया गया कि वजीराबाद पॉन्ड पर यमुना में अमोनिया का स्तर 5 पीपीएम से अधिक हो गया है। इस वजह से वजीराबबाद वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादन 25 से 50 फीसदी तक कम हो गया है। इसलिए जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता है पानी कम प्रेशर पर उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में शुक्रवार रात से ही दिक्कत शुरू हो गई थी। वजीराबाद प्लांट से दिल्ली के बड़े भूभाग में पानी की आपूर्ति की जाती है। यहां हर दिन 131 मिलियन गैलन पानी को साफ किया जाता है। लेकिन अमोनिया बढ़ने से यहां 98.25 एमजीडी उत्पादन हो पा रहा है। उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी कम या ना आने की शिकायतें कर रहे हैं। अब जल बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यमुना में अमोनिया का स्तर घटने तक उन्हें असुविधा हो सकती है।

महंत ने मेरा रेप किया; दिल्ली में 89 साल के बाबा पर 51 साल की शिष्या का आरोप, केस दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शिष्या ने अपने महंत पर रेप करने का आरोप लगाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि 51 साल की शिष्या ने जिस महंत पर आरोप लगाया है, उनकी उम्र 89 साल है। पुलिस ने शिष्या की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके में 89 साल के एक महंत पर अपनी शिष्या के साथ कथित तौर पर रेप करने का मामला दर्ज किया गया है। शिष्या 13 दिसंबर को कबीर मंदिर, लखनऊ रोड, तिमारपुर के राजा राम दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस संबंध में दास के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि अपनी शिकायत में 51 साल की पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि तिमारपुर में कबीर विज्ञान आश्रम द्वारा संचालित सतगुरु राजा राम साहब धार्मिक ट्रस्ट के महंत राजा राम दास ने 14 अप्रैल की रात को अपने आश्रम में उसके साथ बलात्कार किया। दास तिमारपुर में सतगुरु कबीर मंदिर प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजा राम दास ने भी पीड़िता और पांच अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दास ने आरोप लगाया है कि महिला ने पांच लोगों के साथ मिलकर अवैध तरीकों से आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा कि दोनों मामलों में पूछताछ की रही है।

पूर्व फौजी ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने को 6 साल चली कानूनी जंग जीती, कैसे आरक्षण पर फंसा था पेच

नई दिल्ली, एजेंसी। सेना के एक पूर्व जवान ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए अदालत में छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसमें आखिरकार उसकी जीत हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को सेना के पूर्व जवान की पुलिस में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सी हरीशंकर और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व सेनाकर्मी की नियुक्ति के लिए आरक्षण 0.12 फीसद अंक कम पड़ रहे थे। हाईकोर्ट ने पूर्व सैन्यकर्मी महेश सिंह के वकील अनिल सिंह के इस तर्क को उचित माना कि जब भी कोई संख्या 0.5 से ऊपर है तो वह एक के बराबर मानी जाती है। बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस की भी मानें तो जिस कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए पूर्व सैन्यकर्मी ने आरक्षण मांगा है, वह महज 0.88 फीसदी है। ऐसे में यह संख्या 0.5 से ऊपर है। मलतब साफ है कि इस संख्या को एक माना जा सकता है। ऐसे में आरक्षण के आधार पर पूर्व सैन्यकर्मी की भर्ती की मांग जायज है। त्रिपुरा से विशेष अभियान के तहत भर्ती निकाली थी - दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर त्रिपुरा के मूल निवासियों के लिए विशेष भर्ती अभियान के तहत अस्थायी कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पद पर नियुक्ति के लिए दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके तहत दिल्ली पुलिस में विभिन्न पदों पर 44 नियुक्तियां होनी थीं। इनमें विभिन्न वर्गों का आरक्षण शामिल था। इससे पहले केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने भी उम्मीदवार की नियुक्ति के अधिकार को जायज ठहराया था।

केजरीवाल ने 5 साल पहले भी लॉन्च की थी यही स्कीम, सिर्फ 5 को फायदा

आरटीआई दिखा बोली भाजपा

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा ने अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को नई बोतल में पुरानी शराब बताकर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली भाजपा ने एक आरटीआई के जवाब का हवाला देते हुए हुए दावा किया है कि 'डॉ. अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना' एक पुरानी योजना थी। इसे 2020-21 में लॉन्च किया गया था और तब से अनुसूचित जाति के केवल पांच छात्रों को ही 5-5 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिली है।

दरअसल, 'आप' के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली के दलित छात्रों की विदेश में मुफ्त पढ़ाई के लिए अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना भाजपा द्वारा अंबेडकर के 'अपमान' का जवाब है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे 'नई बोतल में पुरानी शराब का क्लासिक मामला' बताते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल एक राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं जो मौजूदा राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखते हुए पुरानी योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने में माहिर हैं।

सचदेवा ने आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल ने 2020 के चुनावों से पहले एससी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए इसी तरह की योजना की घोषणा की थी। वह योजना स्थिर बनी हुई है। उन्होंने अब इसे एक नए नाम के साथ फिर से पेश किया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा, केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि आज तक केवल 25 लाख रुपये की छात्रवृत्ति ही क्यों बांटी गई हैं, जबकि सरकार ने 2020-21 में इसके प्रचार पर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वहीं, दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना ने इस साल अगस्त में मिले एक आरटीआई के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि 2020-21, 2021-22 और 2022-23 वित्तीय वर्षों में एक-एक छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जबकि 2023-24 में यह संख्या बढ़कर दो हो गई। खुराना ने कहा, दिसंबर 2021 में प्रकाशित कमजोर वर्गों के लिए लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर दिल्ली सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार, चार साल के पीएचडी कोर्स के लिए 20 लाख रुपये की छात्रवृत्ति तय की गई थी, जबकि दो साल के मास्टर कोर्स के लिए 10 लाख रुपये तय किए गए थे। आवेदक को हर साल 5 लाख रुपये मिलेंगे। सरकार ने पात्रता मानदंड भी तय किए।

दिल्ली के नरेला में फिल्मी स्टाइल में गैंगवार, ताबड़तोड़ फायरिंग से सहमे लोग; बच्चे को लगी गोली

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के नरेला के कुरैनी गांव में बेखौफ बदमाशों ने दूसरे पक्ष पर दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 10 साल के बच्चे को घुटने में गोली लग गई। यह घटना मंगलवार की है, लेकिन इसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हत्या के प्रयास की धारा में गिरफ्तार किया है।

नरेला के कुरैनी गांव में सोनी खान ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया था कि पड़ोस में रहने वाले मैकुल के बेटे नावेद ने दो साल पहले उसके देवर की हत्या कर दी थी। मैकुल के दूसरे बेटे जुनैद ने पीड़िता के पति शेर खान को चार साल पहले चाकू मार दिया था। फिलहाल सभी मामले कोर्ट में लंबित हैं। पीड़िता सोनी ने बताया कि मंगलवार दोपहर वह अपने पति के साथ घर जा रही थी, तभी मैकुल अपने बेटे जुनैद और परवेज के साथ आ गया। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया, तभी आरोपी बाप-बेटों ने दंपती के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच मैकुल का बड़ा बेटा जावेद पिस्टल से फायरिंग करने लगा।

सड़क की दूसरी तरफ क्लीनिक में बैठे एक शख्स ने अपने फोन में इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया। वायरल वीडियो में आरोपी जावेद भीड़भाड़ वाली गली में खंभे के पीछे से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। फायरिंग के दौरान एक गोली 10 वर्षीय दीपक घुटने में लग गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद सोनी के परिजनों ने आरोपी के घर में घुसकर मारपीट की थी। इसलिए सोनी के बयान पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही जावेद, जुनैद और परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की शिकायत पर घर में घुसने की धारा में केस दर्ज कर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल बच्चे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं पुलिस दूसरे पक्ष के फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

इंसान कई वजहों से जान देते हैं; महिला की खुदकुशी मामले में कोर्ट ने पति व ससुरालवालों को बरी किया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने आत्महत्या करने वाली महिला के पति और उसके ससुराल वालों को बरी कर दिया। आरोप था कि महिला ने दहेज की वजह से सताए जाने के बाद जान दे दी थी। लेकिन फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हर विवाहित महिला द्वारा की गई खुदकुशी का कारण उत्पीड़न ही होता है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा मृतक महिला के पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे थे। इनके खिलाफ मालवीय नगर पुलिस थाने में दहेज हत्या और विवाहित महिला के साथ क्रूरता के दंडात्मक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

फैसला 18 दिसंबर को दिया गया जिसमें कहा गया, अभियोजन पक्ष के गवाहों की खराब और दोषपूर्ण गवाही तथा रिकॉर्ड में ठोस सबूतों के अभाव के कारण, इस अदालत का मानना ??है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि महिला की शादी फरवरी 2012 में हुई थी और पति के परिवार की दहेज की मांग और क्रूरता के कारण सितंबर में महिला ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के एक फैसले का हवाला देते हुए फैसला देने वाले जज ने कहा, ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि विवाहित महिला द्वारा अपने ससुराल या माता-पिता के घर में की गई प्रत्येक आत्महत्या का कारण यह हो कि वह अपने पति या ससुराल वालों के हाथों उत्पीड़न झेल रही थी। जीवित मनुष्य विभिन्न कारणों से आत्महत्याएं करते हैं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, यह सर्वविदित कहावत है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलतीं। इस मामले में मृतका की डायरी से स्पष्ट पता चलता है कि आरोपी मृतका से प्रेम करता था और मृतका भी उससे प्रेम करती थी तथा उसने (मृतक महिला) अपने पति या अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। कोर्ट ने कहा कि शादी के सात साल के अंदर ससुराल में हुई अप्राकृतिक मृत्यु का केवल एकमात्र तथ्य ही आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

आप से तो आगे रहेगी भाजपा; कांग्रेस नेता की दिल्ली चुनाव पर भविष्यवाणी?

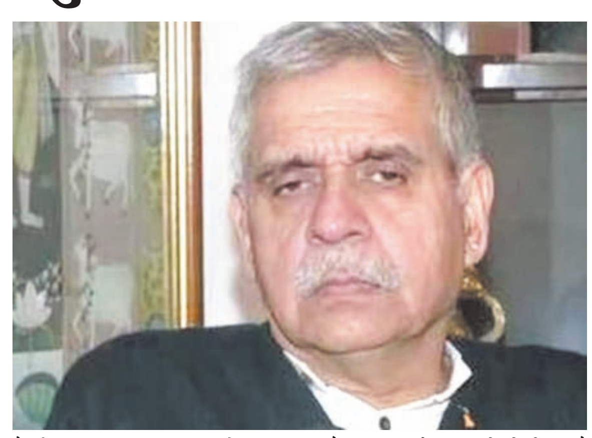

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से कथित तौर पर शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने की रिपोर्टों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे हैरानी हो रही है कि उपराज्यपाल को मंजूरी देने में इतने दिन क्यों लग गए। अब तक तो इस मामले का रिजल्ट आ जाना चाहिए था और उनको (दिल्ली के मंत्रियों को) जेल में होना चाहिए था। आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी वरन वह तीसरे और भाजपा दूसरे स्थान पर होगी।

ईडी को मंजूरी दिए जाने की रिपोर्टों पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा- यह तो होना ही था। शराब घोटाला कोई नई बात नहीं है। इस मामले में तो दो तीन साल से तहकीकात चल ही रही है। इनके (अरविंद केजरीवाल) मंत्री जेल जा चुके हैं। यह खुद जेल जा चुके हैं। हमारे पास जो तथ्य हैं, यदि ये सही हैं तो इस आबकारी नीति में दिल्ली सरकार को बड़ा घाटा हुआ।

संदीप दीक्षित ने कहा- इसमें सभी प्राइवेट ठेकेदारों को फायदा हुआ। अरे भाई प्राइवेट ठेकेदारों को ही देना था तो दिल्ली के किसी कारोबारी को दे देते। सभी दक्षिण भारत के ठेकेदारों को ठेके दिए गए। वह नेता जो कहता हो कि दिल्ली में रोजगार बढ़ना चाहिए और ठेके दूसरे राज्यों के ठेकेदारों को देता हो। वह भी भारी घाटे पर तो जाहिर है इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। हमने खुद गोवा और पंजाब के चुनावों में देखा है कि कितना पैसा आप बांट रही थी। संदीप दीक्षित ने कहा- इसमें तो कोई शक ही नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों को भी पता है। सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसी ने अब तक इतने सबूत जुटा लिए हैं जिससे कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। चूंकि अब इन्होंने इसकी शुरुआत की है। मुझे तो हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि केस चलाने के लिए मंजूरी देने में इतने दिन क्यों लग गए।

एक और आप कंडिडेट ने खड़े किए हाथ, मटिया महल से चुनाव नहीं लड़ेंगे शोएब इकबाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी के एक और उम्मीदवार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वह इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने फैसले से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अवगत करा दिया है। आप विधायक शोएब इकबाल ने बताया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और अपने फैसले से उनको अवगत कराया।

शोएब इकबाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा- अरविंद केजरीवाल जी के साथ मेरी दिल्ली के मौजूदा हालत पर बातचीत हुई। हमने अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। दिल्ली में चुनावी रणनीति के मसले पर भी हमारी बातचीत हुई।

आप विधायक शोएब इकबाल ने कहा- पार्टी ने मुझे मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल जी से कहा है कि मैं इस बार कुछ वजहों के चलते चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस पर उन्होंने (अरविंद केजरीवाल) कहा कि अब आले मोहम्मद इकबाल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। शोएब इकबाल के बयान से इस बात की संभावना है कि आप उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल को मटिया महल से चुनाव मैदान में उतार दे। आले इकबाल एमसीडी में आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं। वह पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। शोएब इकबाल का कहना है कि आले मोहम्मद इकबाल उनकी जगह मैदान में उतरेंगे।

आप को कौन चला सकता है बेहतर, आतिशी और सुनीता में केजरीवाल ने किसका लिया नाम

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह मौजूदा सीएम आतिशी को अपनी पत्नी सुनीता से बेहतर नेता मानते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में जब केजरीवाल से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी की कमान किसी महिला के हाथ देनी हो तो आतिशी और सुनीता केजरीवाल में बेहतर कौन है। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत आतिशी का नाम लिया।

जी न्यूज को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल से कुछ दिलचस्प सवाल किए गए और उन्हें दो विकल्पों में से एक को चुनने को कहा गया। आम आदमी पार्टी की बागडोर यदि महिला के हाथ हो तो बेहतर कैंडिडेट कौन? इसके जवाब में केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया। उन्होंने इसके बाद पत्नी सुनीता की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, सुनीता बहुत काबिल हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट पर रही हैं। मेरे पीछे उन्होंने बहुत अच्छे से सबकुछ संभाला, लेकिन राजनीति में आने की उन्हें इच्छा नहीं रही है।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बेहद सक्रिय हो गई थीं। केजरीवाल के पद छोड़ने की सूरत में उन्हें संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन जमानत मिलने के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने तब 18 विभागों को संभाल रहीं अपनी मंत्री आतिशी पर भरोसा जताया।

केजरीवाल से जब पूछा गया कि दिल्ली की दो पूर्व महिला मुख्यमंत्रियों सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित में बेहतर कौन, तो उन्होंने इन दोनों को दरकिनार करते हुए आतिशी का नाम लिया। केजरीवाल से जब पूछा गया कि गठबंधन के लिए उन्हें नीतीश कुमार और लालू यादव में से किसी को चुनना हो तो किसे चुनेंगे।

दिल्ली में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, 24 से बदलेगा मौसम, 27 को बारिश का अलर्ट

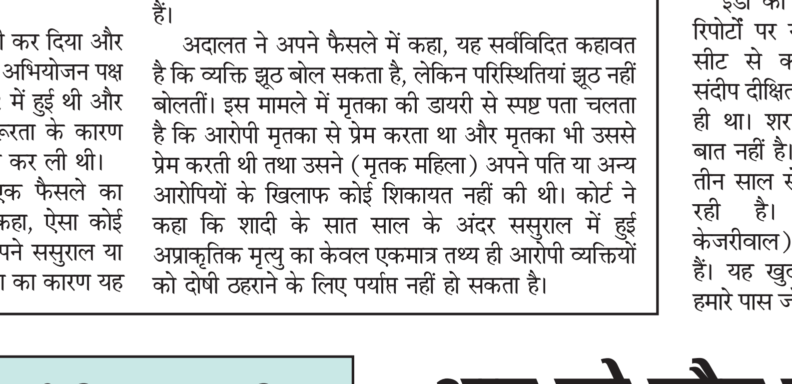

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली के मौसम में धुंध और कोहरे के स्तर में कमी होने के आसार हैं। अगले सप्ताह राजधानी का मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को राजधानी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इससे प्रदूषण के स्तर में भले ही थोड़ी राहत हो जाए, लेकिन ठंड बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को सुबह-शाम हल्का कोहरा और धुंध छाए रहने के आसार हैं, दिन आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि 24 दिसंबर को राजधानी के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 24 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में शनिवार को सुबह और शाम हल्की धुंध और कोहरा देखा गया। हालांकि, दृश्यता के स्तर में शुक्रवार की अपेक्षा बहुत अंतर नहीं था। शनिवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 100 फीसद और न्यूनतम स्तर 43 फीसदी दर्ज किया गया।

राजधानी में शनिवार को प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार तो दिखा, लेकिन प्रदूषण का स्तर अब भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 429 से घटकर 392 यानी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया।

शनिवार को सुबह 8 बजे एक्यूआई 395 दर्ज किया गया, लेकिन शाम चार बजे सीपीसीबी की वेबसाइट समीर के अनुसार यह घटकर 370 पर आ गया। राजधानी में बाकी स्थानों पर हवा बेहद खराब श्रेणी रही। प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार के बाद भी लोगों को धुंध और कोहरा का सामना करना पड़ा। ज्ञात हो कि सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक, वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से ऊपर होने पर उसे सीवीयर प्लस या अति गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।

ग्रैप का पहला चरण एक्यूआई के 201 से 300 के बीच (खराब श्रेणी) होने पर, दूसरा चरण 301 से 400 के बीच (बहुत खराब) होने पर, तीसरा चरण 401 से 450 के बीच (गंभीर) होने पर और चौथा चरण 450 से अधिक (बहुत गंभीर) होने पर लागू होता है। सामान्य से अधिक है पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर सीपीसीबी के मानकों के मुताबिक, हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। शनिवार की शाम 3 बजे पीएम 10 का स्तर 270 से ऊपर था और पीएम 2.5 का औसत 160 से अधिक था। इस तरह से दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक चार दिन बाद शनिवार को 400 से नीचे दर्ज किया गया। 17 दिसंबर को जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 433 था, वहीं 19 दिसंबर को 451 हो गया और 21 दिसंबर को 370 दर्ज किया गया। नवंबर के बाद दिसंबर में 450 का आंकड़ा एक्यूआई ने पार किया है, लेकिन अब यह नीचे आया है।

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हवा की गति बढ़ने से इसमें कुछ सुधार हो सकता है।